जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर 31/2015

धारा 6ए प्रकरण सं0 31/2015 स्टेट बनाम 1–कृष्णलाल पुत्र श्री मोहनलाल जाति कुम्हार निवासी महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर 2–मोहनलाल मृत्तक पुत्र श्री काशीराम जाति कुम्हार निवासी महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर के वारिसान 2/1–श्रीमति रोशनी देवी 2/2–श्री बाबूलाल

09.01.2017

1– **अप्रार्थीगण** के अभिभाषक श्री राजकुमार नागपाल उपस्थित है। विभागीय प्रतिनिधि श्री संदीप गोड़, प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित है। दोनो पक्षो की बहस पूर्व में दिनांक 19.12.2016 को सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2– **अप्रार्थीगण** कृष्णलाल व मोहनलाल (मृत्तक) वाहन स्वामी के वारिसान के अभिभाषक श्री राजकुमार नागपाल का कथन था कि वाहन स्वामी अपने वाहन में डीजल डलवाने के लिए गुमजाल जा रहा था। सतपाल, संदीपकुमार, दलीप व माहवीर भी उसके साथ चल दिये और अपनी जरूरत अनुसार वहां से डीजल खरीद लिया। क्योंकि पंजाब व राजस्थान में डीजल की दर में काफी अन्तर है और इसी वाहन में वे वापिस आ गये। सतपाल आदि द्वारा क्रय किये गये डीजल की प्रतियां भी उनके द्वारा पेश की गयी है। उनका आगे कथन था कि उक्त सभी व्यक्ति काश्तकार है और अपनी कृषि भूमि को काश्त करवाने के लिए उनके पास ट्रेक्टर भी है और जिसमें वे अपनी कृषि भूमि को काश्त करने के लिए ट्रेक्टर में डीजल का उपयोग करते है। वे किसी प्रकार का अवैद्य धन्धा नही करते है। उनका कथन था कि जब्त शुदा 1700 लीटर डीजल में से 510 जीटर सतपाल कासनिया, 500 लीटर संदीप कुमार, 260 लीटर दलीप व 490 लीटर महावीर प्रसाद का है और 50 लीटर डीजल वाहन में डलवा लिया। चूंकि उक्त सभी का डीजल 1000 लीटर से कम है। इसलिए उनके द्वारा किसी प्रकार से राज0 पेट्रोलियम प्रोडेक्ट (लाईसेन्सिग एण्ड कन्ट्रोल) ऑर्डर 1990 की अवहेलना नही की गई है। अतः उनके विरूद्ध राजसात की कार्यवाही समाप्त की जावे और जब्त किया गया डीजल व वाहन वापिस लौटाये जावे।

3– **उनके** द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2016(1) कि. लॉ. रि. (राजस्थान) शीर्षक कर्मजीत बनाम राज0 राज्य का उद्धरण देते हुए कथन किया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत **MOTOR SPIRIT & HIGH SPEED DIESEL (REGULATIOPN OF SUPPLY, DISTRIBUTION & PREVENTION OF MALPRACTICES) ORDER, 2005** एवं **PETROLEUM PRODUCTS (MAINTENANCE OF PRODUCTION, STORAGE & SUPPLY) ORDER, 1999** जो कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये है एवं राजस्थान सरकार द्वारा भी आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत **RAJASTHAN PETROLEUM PRODUCTS (LICENSING & CONTROL) ORDER, 1990** का जारी किया गया है, के संबंध में माननीय राज0 उच्च न्यायालय द्वारा यह माना है कि एक ही विषय पर राज्य अधिनियम के उपर केन्द्रीय अधिनियम अधिभावी होगा और साथ ही यह विनिश्चय पारित किया है कि वाहन में 1000लीटर से अधिक मात्रा में डीजल परिवहन कर ले जाने से यह नही माना जा सकता कि वाहन डीजल के भण्डारण हेतु उपयोग हुआ है। 1999 के उक्त आदेश के तहत कोई भी **CUSTOMER** 2500 लीटर तक डीजल रिटेल में क्रय कर सकता है जबकि अप्रार्थीगण के पास केवल 1700 लीटर डीजल क्रयशुदा था जो 1999 के आदेश के अनुसार निर्धारित मात्रा से कम था और 1990 का राज्य सरकार का आदेश, उक्त केन्द्रीय आदेशो के कारण प्रभावहीन था और उक्त केन्द्रीय आदेशो के तहत प्रवर्तन अधिकारी को जब्ती की कार्यवाही करने का अधिकार नही था। इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जाकर जब्त शुदा डीजल एवं वाहन वापिस लौटाये जावें।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर 31/2

4— **इसके विपरीत विभागीय** प्रतिनिधि का कथन था कि पुलिस चौकी गणेशगढ पर दिनांक 03.05.15 को श्री बचन सिंह मीणा, सी.ओ. ग्रामीण द्वारा चैकिंग वाहन के दौरान स्कोर्पियों संख्या पीबी 10 सीबी 7017 की जांच करने पर वाहन में एक प्लास्टिक ड्रम व वाहन के पीछे जुडी एक टंकी में डीजल भरा होना पाये जाने पर जिला रसद अधिकारी को सूचित किया गया। जिस पर उक्त निर्देशो की पालना में प्रवर्तन अधिकारीगण जांच हेतू पुलिस चौकी गणेशगढ पर पहुंचें। पुलिस चौकी में वाहन स्कोर्पिया खड़ा था तथा वाहन ड्राईवर कृष्णलाल पुत्र मोहनलाल भी मौके पर उपस्थित था जिसकी उपस्थिति में वाहन की जांच की गई तो कृष्णलाल ड्राईवार ने बताया कि उक्त वाहन उसके पिता मोहनलाल के नाम से है और रजिस्ट्रेशन भी उनके नाम से है।

5— **उनका आगे** कथन था कि मौके पर वाहन में एक प्लास्टिक ड्रम तथा वाहन के पीछे जुडी एक लोहे की टंकी में डीजल होना पाया गया। ड्रम व टंकी को खोलकर देखने व सुंघने से इनमे डीजल होना पाया गया और भौतिक सत्यापन करने पर एक प्लास्टिक ड्रम में 200 लीटर डीजल और वाहन के पीछे जुडी लोंहे की टंकी में 1500 लीटर कुल 1700 लीटर डीजल पाया गया। जबकि राज0 पेट्रोलियम प्रोडेक्ट (लाईसेन्सिग एण्ड कन्ट्रोल) ऑर्डर 1990 के खण्ड 15 के तहत जारी जारी अधिसूचना दिनांक 11.04.2005 के अनुसार अनुज्ञापत्रधारी से भिन्न किसी भी व्यक्ति द्वारा एक समय में अपने कब्जे में रखे जाने वाले डीजल की अधिकतम मात्रा 1000 लीटर निर्धारित कर रखी है।

6— **उनका** आगे कथन था कि उक्त वाहन स्कोर्पियों में 1000लीटर से अधिक डीजल पाया गया और 1000 लीटर से अधिक डीजल परिवहन व भण्डारण करने, कब्जे में रखने का कोई प्राधिकार पत्र/अनुज्ञापत्र/लाईसेन्स/परमिट आदि उसके पास नही पाया गया। इसलिए 1700 लीटर डीजल तथा उक्त वाहन को राज0 पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 22 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जब्त किया गया। इसलिए उक्त जब्त शुदा डीजल एवं वाहन मय लोहे की टंकी को राजसात किया जावे।

7— **उनका** आगे कथन था कि उक्त जब्त शुदा वाहन डीजल परिवहन करने हेतू नही है बल्कि उनके अपने निजि उपयोग की ही है। इसलिए उक्त वाहन में गैर कानूनी रूप से अवैद्य कारोबार के लिए डीजल परिवहन कर व अपने कब्जे में रखकर राज0 पेट्रोलियम प्रोडेक्ट (लाईसेन्सिग एण्ड कन्ट्रोल) ऑर्डर 1990 के खण्ड 15 की अवहेलना की है। इसलिए जब्ती दिनांक को वाहन के बाजार मूल्य 1,35,000रूपये व लोहे की टंकी का मूल्य 7000रूपये कुल 1,42,000रूपये मूल्य होने के कारण डीजल के साथ साथ उक्त वाहन व उसमें लगी लोहे की टंकी को राजसात किया जावे और वाहन एवं टंकी राजसात की एवज में 1,42,000रूपये जुर्माना कायम किया जावे।

8— **उनका** कथन था कि चूंकि **RAJASTHAN PETROLEUM PRODUCTS (LICENSING & CONTROL) ORDER, 1990** जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की अनुमति से राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है जबकि **MOTOR SPIRIT & HIGH SPEED DIESEL (REGULATIOPN OF SUPPLY, DISTRIBUTION & PREVENTION OF MALPRACTICES) ORDER, 2005** एवं **PETROLEUM PRODUCTS (MAINTENANCE OF PRODUCTION, STORAGE & SUPPLY) ORDER, 1999** केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये है। **उक्त तीनो आदेशो का उदेश्य और कार्यक्षेत्र अलग—2 है।**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

RTO

राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त 1990 के आदेश को न तो राज्य सरकार द्वारा रद्द किया गया है और न ही केन्द्र सरकार द्वारा रद्द किया गया है। **माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त 2012 सीआरएलआर (एससी) पेज 726 स्टेट आफ बिहार वगैरा बनाम अरविन्द्र कुमार वगैरा के पैरा 13 के अनुसार कोई भी न्यायालय या अथोरिटी वर्तमान में प्रभावी किसी भी कानूनी प्रावधानो के विपरीत कोई भी आदेश/निर्देश नही दे सकते है। चूंकि 1990 का उक्त आदेश आज भी प्रभाव में है।** इसलिए माननीय राज0 उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2016(1) क्रि. लॉ. रि. (राजस्थान) पृष्ट 506 **करमजीतसिंह बनाम राजस्थान राज्य** का **अप्रार्थी लाभ लेने का हकदार नही ठहरता है।** माननीय राज0 उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टान्त एस.बी. क्रिमी. रिवीनज पेटी. न0 283/2012 ओमप्रकाश बनाम राज0 राज्य व अन्य (आदेश दिनांक 06.12.2012) में पारित निर्णय के अनुसार राज्य सरकार के उक्त **RAJASTHAN PETROLEUM PRODUCTS (LICENSING & CONTROL) ORDER, 1990** के तहत पारित आदेश अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम को विधि सम्मत माना है। इसलिए अप्रार्थीगण **माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त 2012 सीआरएलआर (एससी) पेज 726 स्टेट आफ बिहार वगैरा बनाम अरविन्द्र कुमार वगैरा के प्रकाश में व राज0 उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय रिवीनज पेटी. न0 283/2012 ओमप्रकाश बनाम राज0 राज्य व अन्य 06.12.2012 के अनुसार भी कोई लाभ प्राप्त करने का हकदार नही ठहरता है।**

9– उनका आगे यह भी कथन था कि माननीय उच्चतम न्यायालय के **न्यायिक दृष्टान्त 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340** के अनुसार वाहन राजसात करने की दशा में वाहन के एवज में वाहन के बाजार भाव तक जुर्माना लगाया जा सकता है और जुर्माना राशि अदा करने पर ही वाहन स्वामी को वाहन सौंपा जा सकता है। अतः वाहन राजसात करने की दशा में वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जावे।

10– मैने दोनो पक्षो के उक्त तर्को पर मनन किया और दोनो पक्षो द्वारा न्यायिक दृष्टान्तो का भी ससम्मान अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि पुलिस चौकी गणेशगढ पर दिनांक 03.05.15 को श्री बचन सिंह मीणा, सी.ओ. पुलिस (ग्रामीण) द्वारा चैकिंग वाहन के दौरान स्कोर्पियों संख्या पीबी 10 सीबी 7017 की जांच करने पर वाहन में एक प्लास्टिक ड्रम व वाहन के पीछे जुडी एक टंकी में डीजल भरा होना पाये जाने पर जिला रसद अधिकारी को सूचित किया गया जिस पर उक्त निर्देशो की पालना में प्रवर्तन अधिकारीगण जांच हेतू पुलिस चौकी गणेशगढ पर उसी दिन पहुंचें। पुलिस चौकी में वाहन स्कोर्पिया खड़ा था तथा वाहन ड्राईवर कृष्णलाल पुत्र मोहनलाल मौके पर उपस्थित था जिसकी उपस्थिति में वाहन की जांच की गई तो कृष्णलाल ड्राईवार ने बताया कि उक्त वाहन उसके पिता मोहनलाल के नाम से है और रजिस्ट्रेशन भी उनके नाम से है। मौके पर वाहन में एक प्लास्टिक ड्रम तथा वाहन के पीछे जुडी एक लोहे की टंकी में डीजल होना पाया गया। ड्रम व टंकी को खोलकर देखने व सुंघने से इनमे डीजल होना पाया गया और भौतिक सत्यापन करने पर एक प्लास्टिक ड्रम में 200 लीटर डीजल और वाहन के पीछे जुडी लोंहे की टंकी में 1500 लीटर कुल 1700 लीटर डीजल पाया गया। जबकि राज0 पेट्रोलियम प्रोडेक (लाईसेन्सिग एण्ड कन्ट्रोल) ऑर्डर 1990 के खण्ड 15 के तहत जारी जारी अधिसूच दिनांक 11.04.2005 के अनुसार अनुज्ञापत्रधारी से भिन्न किसी भी व्यक्ति द्वारा ए समय में अपने कब्जे में रखे जाने वाले डीजल की अधिकतम मात्रा 1000 लीट

सा0/-
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

PTO

जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर 31/2015

निर्धारित कर रखी है। उक्त वाहन स्कोर्पियों में 1000लीटर से अधिक डीजल पाया गया और 1000 लीटर से अधिक डीजल परिवहन व भण्डारण करने, कब्जे में रखने का कोई प्राधिकार पत्र/अनुज्ञापत्र/लाईसेन्स/परमिट आदि उसके पास नही था। इसलिए 1700 लीटर डीजल तथा उक्त वाहन को राज0 पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 22 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जब्त किया गया। इसलिए 1990 के आदेश के तहत निर्धारित मात्रा 1000लीटर से अधिक डीजल वाहन ड्राईवर कृष्णलाल अकेले के कब्जे से जब्त शुदा 1700 डीजल मयं वाहन एवं टंकी को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है।

11— **चूंकि फर्द** जब्ती के अनुसार दिनांक 03.05.2015 को उक्त स्कोर्पियों वाहन संख्या पीबी 10 सीबी 7017 में 1700 लीटर डीजल परिवहन करते हुए वाहन चालक कृष्णलाल के कब्जे से जब्त किया गया है और फर्द जब्ती पर कृष्णलाल के हस्ताक्षर भी मौजूद है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11—4—2005 के अनुसार कोई व्यक्ति अपने कब्जे में वाहन की टंकी में उपलब्ध डीजल को सम्मिलित करते हुए 1000 लीटर से अधिक डीजल नही रख सकता है। राज्य सरकार की अधिसूचना 11—4—2005 निम्न प्रकार से है:—

> जयपुर, अप्रेल 11, 2005
>
> राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन तथा नियन्त्रण) आदेश 1990 के खण्ड 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए और इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना कमांक एफ.17(24)खा.वि./विधि/90 दिनांक 16—10—2004 को अधिकमित करते हुए, राज्य सरकार,, अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी (लाईसेन्सड डीलर) से भिन्न किसी भी व्यक्ति द्वारा एक समय में अपने कब्जे में रखे जाने वाले डीजल की अधिकतम मात्रा 1000 लीटर नियत करती है। इस मात्रा में वाहन के सर्विस टेंक में उपलब्ध डीजल की मात्रा भी सम्मिलित होगी।

12— **आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थीगण पर ही था कि** उनके द्वारा किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:—

> "जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"

13— **अप्रार्थीगण के अभिभाषक** ने अपनी ओर से जबाब के साथ चार बिल सं0 70033, 70034, 70035, 70036 दिनांक 03.05.15 कमशः संदीपकुमार 500 लीटर, महावीर प्रसाद 490 लीटर, सतपाल कासनिया 510 लीटर, दलीप 260 लीटर के पेश

जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर 31/2015

किये है और 50 लीटर कृष्णलाल ड्राईवर ने वाहन की टंकी में डलवाना बताया। इनके आधार पर जब्त शुदा डीजल 1700 लीटर बताया है जबकि फर्द मौका जब्ती दिनांक 03.05.2015 के अनुसार अप्रार्थी कृष्णलाल अकेले के कब्जे से उक्त वाहन पीबी 10 सीबी 7017 में परिवहन करते हुए एक प्लास्टिक ड्रम में 200 लीटर एवं वाहन के पीछे जुडी लोहे की टंकी में 1500 लीटर **कुल 1700 लीटर डीजल भोतिक सत्यापन करने पर जब्त किया गया है और विभागीय प्रतिनिधि के मोखिक कथननानुसार 1700 लीटर डीजल की विक्रय राशि जमा हुई है इसलिए अप्रार्थी अभिभाषक का 1700 लीटर के संबंध में प्रस्तुत तर्क व उक्त बिल सही प्रतीत नही होते**। इन सभी बिलो पर वाहन संख्या पीबी 10सीबी 7017 अंकित है किसी भी बिल धारक द्वारा डीजल वापिस लेने की प्रार्थना नही की गयी है और न ही पक्षकार बनने की प्रार्थना की गयी है जिससे स्पष्ट है कि उक्त जब्त शुदा 1700 लीटर डीजल कृष्णलाल अकेले का है और उसके द्वारा अपने पिता के उक्त वाहन से बिना किसी वैद्य अनुज्ञापत्र अवैद्य कारोबार के लिए परिवहन कर लाया जा रहा था जिसे उसके अकेले के कब्जे से ही जब्त किया गया है।

14— **अप्रार्थीगण** के अभिभाषक का यह तर्क कि केन्द सरकार द्वारा **MOTOR SPIRIT & HIGH SPEED DIESEL (REGULATIOPN OF SUPPLY, DISTRIBUTION & PREVENTION OF MALPRACTICES) ORDER, 2005** एवं **PETROLEUM PRODUCTS (MAINTENANCE OF PRODUCTION, STORAGE & SUPPLY) ORDER, 1999** के जारी आदेश, राज्य सरकार के नियन्त्रण आदेश **RAJASTHAN PETROLEUM PRODUCTS (LICENSING & CONTROL) ORDER, 1990** पर प्रभावी है और केन्द्र सरकार के **PETROLEUM PRODUCTS (MAINTENANCE OF PRODUCTION, STORAGE & SUPPLY) ORDER, 1999** के तहत खुदरा बेचान की सीमा 2500 लीटर तक है जबकि उक्त वाहन से 1700 लीटर डीजल जब्त किया गया है इस प्रकार उसके पास निर्धारित सीमा 2500 लीटर से कम डीजल है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2016(1) कि. लॉ. रि. (राजस्थान) पृष्ट 506 करमजीतसिंह बनाम राज0 राज्य के अनुसार राजसात की कार्यवाही नही की जा सकती।

15— **इसके विपरीत** विभागीय प्रतिनिधि द्वारा माननीय उच्च न्यायालय का एस.बी. क्रिमी. रिवीजन पेटी. न. 283/2012 ओमप्रकाश बनाम राज0 राज्य व अन्य (आदेश दिनांक 06.12.2012) व माननीय उच्चतम न्यायालय का 2012 कि. लॉ रि. (उच्चतम न्यायालय) पृष्ट 726 बिहार राज्य व अन्य बनाम अरविंद कुमार व अन्य के न्यायिक दृष्टान्त का हवाला देते हुए कथन था कि पूर्व में दिनांक 06.12.2012 को माननीय राज0 उच्च न्यायालय के द्वारा **RAJASTHAN PETROLEUM PRODUCTS (LICENSING & CONTROL) ORDER, 1990** के तहत की गयी राजसात की कार्यवाही को सही माना है और वाहन राजसात की एवज में लगाये गये जुर्माना राशि **2,00,000रूपये को सही माना गया है** और माननीय उच्चतम न्यायालय के **न्यायिक दृष्टान्त 2012 कि. लॉ रि. (उच्चतम न्यायालय) पृष्ट 726 बिहार राज्य व अन्य बनाम अरविंद कुमार व अन्य** के अनुसार कोई भी न्यायालय या अथोरिटी या सरकार किसी भी प्रभावी कानून से बाहर जाकर कोई आदेश/निर्देश अधिनस्थ को जारी नही कर सकते। **चूंकि 1990 का उक्त आदेश केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा रद्द नही किया गया है और आज भी प्रभावी है। इसलिए उक्त न्यायिक दृष्टान्तो के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध 1990 के आदेश के तहत की गयी कार्यवाही सही है।**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्ट श्रीगंगानगर 31/2015

16– विभागीय प्रतिनिधि ने सैशन न्यायालय श्रीगंगानगर के दांडिक अपील सं0 14/2016 अरविन्द स्वामी आदि बनाम राज0 राज्य में पारित निर्णय 21.06.2016 की प्रति पेश करके भी प्रार्थना की कि माननीय सैशन न्यायाधीश ने भी 1990 के आदेश के तहत की गयी कार्यवाही को माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 कि. लॉ रि. (उच्चतम न्यायालय) पृष्ट 726 बिहार राज्य व अन्य बनाम अरविंद कुमार व अन्य के अनुसार सही माना है। इसलिए भी अप्रार्थीगण द्वारा 1990 के आदेश की अवहेलना के कारण जब्त शुदा डीजल एवं वाहन राजसात करने योग्य है।

17– **उक्त बिन्दु** पर दोनो पक्षो द्वारा दिये गये तर्को का मनन किया और पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत उक्त सभी न्यायिक दृष्टान्तो का एवं सैशन न्यायालय श्रीगंगानगर के अपील सं0 14/2016 अरविन्द स्वामी आदि बनाम राज0 राज्य निर्णय दिनांक 21.06.2016 का भी **ससम्मान** अवलोकन किया तो पाया कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के एक निर्णय **एस.बी. किमी. रिवीजन पेटी. न. 283/2012** ओमप्रकाश बनाम राज0 राज्य व अन्य (आदेश दिनांक 06.12.2012) के अनुसार इस न्यायालय द्वारा **RAJASTHAN PETROLEUM PRODUCTS (LICENSING & CONTROL) ORDER, 1990** के तहत की गई वाहन राजसात की कार्यवाही को सही माना है और संबंधित अप्रार्थी पर वाहन राजसात की एवज में लगाई गई जुर्माना राशि 2,00,000रूपये को सही माना है। चूंकि **RAJASTHAN PETROLEUM PRODUCTS (LICENSING & CONTROL) ORDER, 1990 का आदेश** भी आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत **केन्द्र सरकार की अनुमति से राज0 सरकार द्वारा जारी किया गया है जिसे केन्द्र सरकार या राज्य सरकार न तो निरस्त किया गया है और न ही वापिस लिया गया है। अभी तक उक्त 1990 का आदेश प्रभावशील है।** माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **2012 कि. लॉ रि. (उच्चतम न्यायालय) पृष्ट 726 बिहार राज्य व अन्य बनाम अरविंद कुमार व अन्य के पैरा 13** में निम्न अपने पूर्व निर्णय सम्मानीय **न्याय दृष्टान्त ए.आई. आर. 2010 (उच्चतम न्यायालय) पृष्ट 1099 शीर्षक मनीष गोल बनाम रोहिनी गोल** का उल्लेख करते हुए निम्न प्रकार से आदेश दिये गये हैः–

> **Court has held that generally, no court has competence to issue a direction contrary to law nor the Court can direct an authority to act in contravention of the statutory provisions. The court are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law.**

18– **चूंकि RAJASTHAN PETROLEUM PRODUCTS (LICENSING & CONTROL) ORDER, 1990** का आदेश अभी तक **प्रभावशील है** जिसे केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा **निरस्त नही** किया गया है। इसलिए **मेरे विनम्र निवेदन** में माननीय उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय **एस.बी. किमी. रिवीजन पेटी. न. 283/2012** ओमप्रकाश बनाम राज0 राज्य व अन्य (आदेश दिनांक 06.12.2012) एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **2012 कि. लॉ रि. (उच्चतम न्यायालय) पृष्ट 726** बिहार राज्य व अन्य बनाम अरविंद कुमार व अन्य के प्रकाश में अप्रार्थीगण केन्द्र सरकार के उक्त 1999 के आदेश के तहत 2500लीटर डीजल वाहन में परिवहन करने की छुट का हकदार नही ठहरता है **और न ही** उक्त 1990 के तहत कानून के विपरीत वाहन में परिवहन डीजल का बिलों के आधार पर डीजल का बंटवारा कर कोई लाभ प्राप्त कर सकते है।

जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

P.T.O.

जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर 31/2015

19– **अतः उपरोक्त** विवेचन के आधार पर अप्रार्थी कृष्णलाल से जब्त शुद्धा उक्त 1700 लीटर डीजल मय एक प्लास्टिक ड्रम एवं वाहन संख्या पीबी 10 सीबी 7017 को राजसात करने के आदेश दिये जाते है। **माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 कलक्टर गन्जम बनाम रमेशचन्द्र पाण्डे में पारित निर्णय दिनांक 6–2–2009 के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जब्त किये गये वाहन की एवज में जब्ती की दिनांक को वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जा सकता है।** चूंकि विभागीय प्रतिनिधि द्धारा जब्त शुद्धा वाहन का जब्ती दिनांक 03.05.2015 को मूल्य 1,35,000रूपये बताया गया है। इसलिए राजसात किये गये उक्त वाहन की एवज में **1,25,000रूपये (अखरे एक लाख पच्चीस हजार मात्र) जुर्माना लगाया जाता है।** यह जुर्माना राशि राजसात किये गये डीजल की कीमत के **अतिरिक्त** है।

20– **जिला रसद** अधिकारी श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि यदि वाहन स्वामी उक्त जुर्माना राशि जमा करवा देवे तो नियमानुसार लोहे की टंकी अलग कर उक्त वाहन उसे दे दिया जावे। यदि वाहन स्वामी द्वारा उक्त जुर्माना राशि जमा नही करवाई जाती है तो **उक्त वाहन** को नियमानुसार **निलाम कर** प्राप्त राशि स्थाई रूप से राजकोष में जमा करवाई जावे। जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर उक्त डीजल की विक्रय राशि को भी राजकोष में स्थाई रूप से जमा करवावे एवं राजसात किये गये एक प्लास्टिक ड्रम एवं लोहे की टंकी का भी नियमानुसार राज्यपक्ष में निस्तारण करवावें। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

17/19-1-17

21– **यह आदेश** आज दिनांक 09.012017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर